फैक्टरी लाइसेंस की वैधता अवधि दस साल तक बढ़ेगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक कार्यों को सरल बनाने के लिए फैक्टरी लाइसेंस की वैधता 10 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी। अभी यह अवधि एक साल के लिए होती है। इससे प्रतिवर्ष 6,700 से अधिक आवेदन और 1,500 नवीनीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे उद्यमियों को राहत मिलेगी।

यह जानकारी औद्योगिक संगठनों के साथ इन्वेस्ट यूपी की 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के मुद्दे पर हुई समन्वय बैठक में दी गई। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद ने अधिकारियों से कहा कि उद्यमियों से जुड़ी समस्याओं का लटकाया न जाए।

उसका समाधान तुरंत कर दिया जाए। कहीं समस्या है तो उच्च स्तर पर अवगत कराया जाए। बैठक में निवेश मित्र 3.0 को एक उन्नत सिंगल-विंडो पोर्टल के रूप स्थापित करने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य औद्योगिक अनुमोदनों, निरीक्षणों और सेवाओं की डिलीवरी में स्वचालन, पारदर्शिता लाना है।

बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश फैक्ट्री नियमावली-1950 के तहत 17 खतरनाक माने जाने वाले कार्यों में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति

- **1,500 के करीब नवीनीकरण की आवश्यकता खत्म होगी**
- **इन्वेस्ट यूपी द्वारा उद्योग संघों एवं विभागों के साथ समन्वय बैठक में निर्णय**

दी गई है। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के तहत 45 विभागों में 1,000 से अधिक सुधार, 524 डिजिटाइज़्ड सेवाएं, और 200 से अधिक जनहित गारंटी अधिनियम के तहत सेवाएं उद्यमियों को प्रदान की जा रही हैं। इनकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है।

उत्तर प्रदेश ने सेवा समय-सीमा को 80% तक कम किया है। साथ ही विभागों में दस्तावेजों की मांग को आधा किया गया है। बैठक में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि के तौर पर भारत कुमार (लघु उद्योग भारती), डी.एस. वर्मा (इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन), अतुल श्रीवास्तव (पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री), शैलेन्द्र कुमार (फिक्की), मुकेश सिंह (इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स), तथा डी.पी. सिंह (एसोचैम) शामिल थे।